RB/ESTT.NO. 112 /2004

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF RAILWAYS/RAIL MANTRALAYA
(RAILWAY BOARD)

....

No.E(NG)I-2000/PM9/1 New Delhi, dated 2-6-2004

The General Managers
All Indian Railways and
Production Units
(As per standard list)

Sub:-Mode of filling up the vacancies in the category of Accounts Clerks in pay scale Rs.3050-4590 in Accounts Department.

In terms of para 171 of IREM Vol.I, 1989, the vacancies in the category of Account Clerks in grade Rs.3050-4590 are filled as under:-

(i) 75% by direct recruitment through RRBs; and

(ii) 25% by promotion by selection from Group 'D' staff.

2. Pursuant to a demand raised by the Staff Side in the DC/JCM vide item No.11/2003 for increasing the quota for promotion of Group 'D' staff in the Accounts Deptt. to Group 'C' posts of Accounts Clerks in the pay scale of Rs.3050-4590, the matter has been carefully considered by the Board. It has been decided to introduce LDCE quota to the extent of 8-1/3% of the posts in the grade of Accounts Clerks in scale Rs.3050-4590 for promotion of Group 'D' staff in the Accounts Department subject to fulfillment of eligibility conditions as under:-

(a) a minimum of three years' regular service in Group 'D'; and

(b) the qualification of Matriculation/Class X Board Examination.

2.1 With the above, posts in the category of Accounts Clerks in grade Rs.3050-4590 will now be filled up as under:-

(i) 66-2/3% by direct recruitment through RRBs;

(ii) 25% by promotion by selection from Group 'D' staff as per existing procedure; and

(iii) 8-1/3% by LDCE from amongst Group 'D' staff having completed a minimum of three years' regular service and qualification of Matriculation/Class X Board Examination.

3. The procedure as revised above will be applicable to selections notified on or after the date of issue of this letter.

4. Accordingly, the IREM Vol.I, 1989 is amended as per ACS No. 161 enclosed.

Please acknowledge receipt.

(J.S. Gusain)
Director Estt.(N)
Railway Board

Encl: <u>ACS No. 161</u>

No. E(NG)I-2000/PM9/1 New Delhi. Dated 2 -6-2004

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).

3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).

4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).

6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

7. The Secretary, RBSS Group 'A' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

8. The Secretary, RBSS Group 'B' Officers Association, Rail Bhavan, New Delhi.

9. The Secretary, Railway Board Ministerial Staff Association, Rail Bhavan, New Delhi.

10. The Secretary, Railway Board Group 'D' Employees Association, Rail Bhavan, New Delhi.

11. Adv./Safety, Railway Board.

12. Chief Commissioner of Railway Safety, Lucknow.

for Secretary/Railway Board

Copy to :-

PPSs to MR, MSR(N), MSR(V).

PPSs to CRB, FC, MS, MM, MT, ML, ME, Secretary.

PPSs to all Additional Members, Advisers, DG/RHS and DG/RPF.

PSs to all EDs/JSs and IG/RPF

D(OL), DPC-I&II, DE(G), D(IH), D(H&FW), D(MPP), D(Safety), JDE(N)II, JDE(R)I&II, JDE(Rep)I&III, JDE(D&A), JDE(L), JDE(LL),DD(Code Revision), DD(Health), DDE(N), DDE(LR)I, DDE(LR)II, DDE(LR)III, US(A), DDV(A&P), DDE(Rep)II, DD(OL)I&II, E(NG)II, E(Rep)I,II&III, E(SCT)I&II, PC-III,IV&V, E(P&A)I&II, CE-I,II&III, Sec.(E), Sec.(ABE), E(MPP), E(G), Health Branch, Safety Branch, A/C-III, Code Revision Cell .

******

INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT MANUAL, VOLUME-I, 1989 EDITION

ADVANCE CORRECTION SLIP NO.161

CHAPTER-I, SECTION-B, SUB-SECTION-III- RECRUITMENT AND TRAINING

1. Substitute the following for the existing para 171(1):-

"171 (1) The posts in the category of Accounts Clerk in the pay scale of Rs.3050-4590 in the Accounts Department are to be filled as under:-

(i) 66-2/3% direct recruitment through RRBs;

(ii) 25% by promotion by selection from Group 'D' staff as per existing procedure; and

(iii) 8-1/3% by LDCE from amongst Group 'D' staff having completed a minimum of three years' regular service and qualification of Matriculation/Class X Board Examination.

(Authority:Ministry of Railway's letter No.E(NG)I-2000/PM9/1 dated 2-6-2004)

****

आर.बी.ई.सं. 112/2004

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई(एनजी)I-2000/पीएम9/1

नई दिल्ली, दिनांक 2.6..2004

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा
उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय :- लेखा विभाग में 3050-4590 रुपये के वेतनमान में लेखा लिपिकों की कोटि में रिक्तियां भरने की विधि ।

भारतीय रेल स्थापना नियमावली, 1989 के पैरा 171 के अनुसार 3050-4590 रुपये के ग्रेड में लेखा लिपिकों की कोटियों को नीचे लिखे अनुसार भरा जाता है :-

(i) 75 प्रतिशत रिक्तियां रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और

(ii) 25 प्रतिशत रिक्तियां समूह "घ" के कर्मचारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति करके.

2. विभागीय परिषद्/स्थाई वार्ता तंत्र में मद सं. 11/2003 के अंतर्गत उठाई गई मांग के अनुसरण में कि 3050-4590 रुपये के वेतनमान में लेखा लिपिकों के समूह 'ग' पदों के लिए लेखा विभाग में समूह 'घ' कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोटा बढ़ाने के मामले पर बोर्ड द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किया गया है. यह विनिश्चय किया गया है कि लेखा विभाग में समूह 'घ' कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए 3050-4590 के वेतनमान में लेखा लिपिकों के ग्रेड में पदों की 8-1/3% सीमा तक सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा कोटा आरंभ किया जाए जो नीचे लिखी शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(i) समूह 'घ' में कम से कम तीन वर्षों की नियमित सेवा; और
(ii) मेट्रीकुलेशन/दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता.

2.1. उपर्युक्त के अनुसरण में 3050-4590 रुपये के ग्रेड में लेखा लिपिकों की कोटि में पदों को नीचे लिखे अनुसार भरा जाएगा :-

(i) 66-2/3 प्रतिशत रिक्तियां रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और

(ii) 25 प्रतिशत रिक्तियां समूह "घ" के कर्मचारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति करके मौजूदा कार्यविधि के अनुसार; और

(iii) 8-1/3 प्रतिशत समूह 'घ' कर्मचारियों के बीच सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों तथा मेट्रीकुलेशन/दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता रखते हों.

3. उपर्युक्त यथासंशोधित कार्यविधि इस पत्र के जारी होने की तारीख को या उसके बाद अधिसूचित चयनों पर लागू होगी.

4. तदनुसार, भारतीय रेल स्थापना नियमावली जिल्द-I (1989) को संलग्न अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. **161** के अनुसार संशोधित किया जाए.

कृपया पावती दें.

(जे. एस. गुसाईं)
निदेशक, स्था. (एन)
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. **161**
सं. ई(एनजी)I-2000/पीएम9/1 नई दिल्ली, दिनांक **2** .6.2002

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. महासचिव, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां).
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-एफ, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां).
3. विभागीय परिषद् तथा राष्ट्रीय परिषद् के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 प्रतियां).
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां).
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां).
6. महासचिव, ऑल इंडिया आर पी एफ एसोसिएशन, कमरा नं. 549, रेल भवन, नई दिल्ली-110001.
7. सचिव, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'क' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
8. सचिव, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा समूह 'ख' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
9. सचिव, रेलवे बोर्ड मिनीस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
10. सचिव, रेलवे बोर्ड समूह 'घ' कर्मचारी एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली.
11. सलाहकार/संरक्षा, रेलवे बोर्ड.
12. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड.

अध्याय-I, खंड-ख, उपखंड-III-
भर्ती और प्रशिक्षण

अग्रिम शुद्धि पर्ची सं. 161

1. मौजूदा पैरा 171(1) नीचे लिखे अनुसार प्रतिस्थापित किया जाए :-

"171(1) 3050-4590 रुपये के ग्रेड में लेखा लिपिकों की कोटि में पदों को नीचे लिखे अनुसार भरा जाएगा :-

(i) 66-2/3 प्रतिशत रिक्तियां रेल भर्ती बोर्डों के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा; और

(ii) 25 प्रतिशत रिक्तियां समूह "घ" के कर्मचारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति करके मौजूदा कार्यविधि के अनुसार; और

(iii) 8-1/3 प्रतिशत समूह 'घ' कर्मचारियों के बीच सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो *कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा* पूरी कर चुके हों तथा मेट्रीकुलेशन/दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की अर्हता रखते हों.

(प्राधिकार : रेल मंत्रालय का दिनांक **2**.06.2004 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2000/पीएम9/1)

******